संख्या-82/2026/आई/1235109/23-1-26-23-1099/136/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 11 फरवरी, 2026**

विषय- जनपद रायबरेली में पुलिस लाइन चौराहा से मामा चौराहा ओवर ब्रिज जेल रोड तक मार्ग कुल लम्बाई 2.350 कि0मी0 का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग में किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-6034/183सी(पीडीआर)-ल0वृ0/2025, दिनांक 10.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद रायबरेली के "पुलिस लाइन चौराहा से मामा चौराहा ओवर ब्रिज जेल रोड तक मार्ग" कुल लम्बाई 2.350 कि0मी0 के स्वामित्व का हस्तांतरण नगर पालिका परिषद, रायबरेली" से लोक निर्माण विभाग में किये जाने हेतु निर्णय लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013 के प्रस्तर-3(3)(1) के प्राविधानानुसार जनपद रायबरेली के **"पुलिस लाइन चौराहा से मामा चौराहा ओवर ब्रिज जेल रोड तक मार्ग"** कुल लम्बाई 2.350 कि0मी0 के स्वामित्व का हस्तान्तरण नगर पालिका परिषद, रायबरेली से लोक निर्माण विभाग में किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-82/2026/आई/1235109(1)/23-1-26-23-1099/136/2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
2.निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन। .
3.निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4.जिलाधिकारी, रायबरेली।
5.मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6.मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7. अधिशासी अभियंता, प्रा0खं0, लोक निर्माण विभाग, रायबरेली ।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।